न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 18/2019

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1अहमदतेली पुत्र मुसा तेली के का.मु 1/1जिया पत्नी अहमद 1/2रसीद 1/3पप्पू 1/4मुख्तियार 1/5रफीक 1/6सागर पुत्रान अहमद जातियान तेली 1/7मुन्नी पुत्री अहमद 1/8रूकिया पुत्री अहमद जातियान तेली निवासीगण रूण तह. मुण्डवा। 2सिकन्दर पुत्र उस्मान के का.मु. 2/1रूकया पत्नी सिकन्दर 2/2नगमा पुत्री सिकन्दर 2/3रजिया पुत्री सिकन्दर 2/4जनत पुत्री सिकन्दर 2/5मापरा पुत्री सिकन्दर 2/6गुलाम दस्तगीर पुत्र सिकन्दर 2/7आलमगीर पुत्र सिकन्दर जातियान मुसलमान निवासीगण रूण तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		तहसीलदार, मुण्डवा

उपस्थिति :–

1. श्री गणपतराज कांगसिया अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 09.11.2020

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा के प्रकरण सं. 36/18 सरकार बनाम अहमदतेली के का.मु. जिया वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 10.12.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.03.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 24.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के निर्णय दिनांक 10.12.18 की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा द्वारा पटवारी रूण को लिखे पत्र दिनांक 31.7.18 की फोटोप्रति, पटवारी रूण की जांच रिपोर्ट की फोटोप्रति, जिया को प्रेषित नोटिस की फोटोप्रति, रूकया को प्रेषित नोटिस की फोटोप्रति, पटवारी द्वारा जारी सनद जमा रसीदो की फोटोप्रतियां, ग्राम रूण के नामान्तरकरण सं. 6484 दिनांक 9.8.18 की फोटोप्रति, ग्राम रूण की चालू खतौनी संवत 2071–74 की फोटोप्रति, सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के आदेश दिनांक 4.1.02 तथा पत्र दिनांक 26.6.02 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन निर्णय, अवैध, विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निणर्य पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 24.9.18 को अपीलांट अहमद तेली तथा सिकन्दर की फौतगी सूचना प्राप्त हो गई थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इनके विधिक कायममुकाम (वारिसान) को नोटिस जारी नही किये गये।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के विधिक कायममुकाम को नोटिस जारी किये बगैर तथा मृतक अपीलांट के विधिक वारिसान को साक्ष्य सबूत पेश करने के अवसर दिये बगैर एवं उनको रेकर्ड पर लिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने से भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलाधीन प्रकरण मे प्रशासन गांव के संग अभियान मे सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा आंवटन/सलाहकार कमेटी की सिफारिश के अनुसार अपीलांट कमरूदीन, अहमद तेली, सिकन्दर वगैरा के नाम उपरोक्त वादग्रस्त अपीलाधीन खसरो की भूमि आवंटित/नियमित की जाकर इनको मौके पर कब्जा सुपुर्द किया जाकर प्रत्येक से 5 रू. सनद फीस वसूल किये जाने को आदेश तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी को दिया था।

{2}(V)–इस आदेश की पालना मे सहायक कलक्टर (मु.) नागौर ने दिनांक 4.1.02 को तत्कालीन

अपर कलक्टर, नागौर

तहसीलदार को पत्र प्रेषित कर आदेशित किया कि आवंटन/सलाहकार कमेटी की सिफारिश के अनुसार अपीलांट को वादग्रस्त खसरो की भूमि का नियमानुसार कब्जा सुपुर्दकर पालना रिपोर्ट की जावे।

{2}(VI)–राजस्व मंडल अजमेर के न्याय दृष्टांत आरआरटी 2016(1) पेज 340 बअनवान जगन्नाथ बनाम राज्य मे पारित निर्णय के अनुसार "राज. भू राजस्व (कृषि भूमि के आवंटन) के नियम 18 के अनुसार दिनांक 19.6.81 को भूमि आंवटित की– खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये और अभी भी वह गैर खातेदार दर्ज है – प्रार्थी भूमि के कब्जे काश्त मे है– राजस्व अधिकारियो ने प्रावधानो की पालना नही की और यह उनका दायित्व था – निर्णीत, खातेदारी अधिकार प्रदान करने का तहसीलदार को निर्देश दिया।"

इसी प्रकार राजस्व मंडल अजमेर के अन्य न्याय दृष्टांत आरआरटी 2016(1) पेज 559 बअनवान भीकाराम बनाम राज्य मे पारित निर्णय के अनुसार नियम 18 के अनुसार "दिनांक 6.12.78 को प्रार्थी के नाम भूमि नियमन की – लंबा समय बीत जाने के बाद भी गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार दर्ज नही किये – तीन वर्ष बाद खातेदारी अधिकार दर्ज करने का तहसीलदार का कर्तव्य – प्रार्थी निरंतर रूप से भूमि काश्त कर रहा है – निर्णीत निर्देश दिये।"

चूंकि सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के आदेश के बावजूद भी राजस्व अधिकारियों एंव कर्मचारियो ने अपने विधिक कर्तव्यो की पालना नही जिसके कारण अपीलांट को दण्डित नही किया जा सकता है। चूंकि तहसीलदार व पटवारी रूण ने सहायक कलक्टर (मु.) के आदेश की पालना नही की। जिस कारण अपीलांट द्वारा पुनः तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष दिनांक 4.7.18 को उक्त आदेश की पालना मे वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत आवेदन पेश किया।

{2}(VII)–अपीलांट के आवेदन तथा तत्कालीन सहायक कलक्टर (मु.) नागौर की पालना द्वारा तत्कालीन तहसीलदार एवं पटवारी रूण द्वारा प्रत्येक अपीलांट से सनद फीस वसूल की गई तथा अपीलांट के नाम म्यूटेशन सं. 6484 दर्ज किया गया। इस प्रकार पटवारी द्वारा आवंटन/सलाहकार कमेटी की सिफारिश तथा सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के आदेश की पालना मे अपीलांट से सनद राशि वसूल कर प्राप्त करना ही सनद जारी करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो अपने आप मे सनद के समान है।

{3}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा ग्राम रूण के नामान्तरकरण सं. 6484 दिनांक 09.08.18 तहसीलदार मुण्डवा के आदेश दिनांक 31.7.18 व सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के आदेश दिनांक 4.1.02 के आधार पर भरा गया है। उक्त व्यक्ति का आराजी भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। न ही उनके पक्ष मे आवंटन के आधार पर कोई सनद ही जारी हुई। राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/नियमन हेतु दिनांक 1.6.02 से 30.6.02 तक सलाहकार समिति की बैठके आयोजित कर भूमि आवंटन/नियमन की कार्यवाही की गई थी। उक्त अवधि के दौरान शासकीय परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज–6/97/7 दिनांक 27.8.01 के द्वारा काजरी द्वारा मृदा सर्वेक्षण मेन्युअल के अनुसार भूमि की 8 श्रेणियां निर्धारित की गई। उनमे से 1–4 तक ही श्रेणियो मे आने वाली भूमियो का आंवटन/नियमन किया जा सकता था। जिसके लिये अलाटमेंट क्लीरेन्स कमेटी द्वारा चिन्हित भूमि का आंवटन हेतु अनुमोदन के पश्चात ही आवंटन/नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। मगर इस मामले मे ऐसी कोई कार्यवाही नही किये जाने से आवंटन/नियमन आदेश विधि विरूद्व रहा है तथा आवंटन व नियमन की कार्यवाही पूर्ण नही हुई। ऐसी स्थिति मे तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के तहत प्रकरण का पुनरावलोकन कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि सम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मुण्डवा के आदेश क्रमांक भूअ/2018/2325 दिनांक 31.7.18 व सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के पत्रांक अभियान/2002/1198 दिनांक 4.1.02 का हवाला देते हुए अहमद पुत्र मूसा के नाम ग्राम रूण के खसरा नं. 340 रकबा 3.15 बीघा व सिकन्दर अली पुत्र उस्मान के नाम ग्राम रूण के खसरा नं. 2576 रकबा 4.13 बीघा गैर खातेदारी के रूप मे अमल दरामद किये जाने का नामान्तकरण पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण का पुनरावलोकन प्रकरण सं. 36/18 सरकार बनाम अहमदतेली व सिकन्दर तेली के का.मु. जिया वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 10.12.2018 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे अहमद अली व सिकन्दर अली का आराजी पर कब्जा रहा हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार नही है। नियमन/आवंटन होने की

अपर कलक्टर, नागौर

स्थिति मे कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत जहां भूमि का आवंटन आदेश की तारीख के एक माह के भीतर आवंटी को वास्तव मे नही दिया जाता है, वहां आवंटी का कर्तव्य बनता है कि वो जिला कलक्टर को आदेश को प्रवर्तित करने का आवेदन करेगा तथा आवंटन के 15 दिन मे भौतिक कब्जा दिये जाने की स्थिति मे नियम 15 (3) के अन्तर्गत सनद जारी किये जाने के प्रावधान है। आवंटी अहमद तेली व सिकन्दर तेली अथवा उसके वारिसान द्वारा उक्त निर्धारित अवधि मे कब्जा लेने हेतु कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा प्रकट नही है तथा न ही उनका कभी भी कब्जा रहा है तथा कब्जा नही होने की स्थिति मे आवंटन पर सनद भी जारी नही होना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति मे आवंटन आदेश स्वतः ही निष्फल माना जायेगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/नियमन हेतु दिनांक 1.6.02 से 30.6.02 तक की अवधि के दौरान सलाहकार समिति की बैठके आयोजित कर भूमि आवंटन/नियमन की कार्यवाही राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज–6/97/7 दिनांक 27.8.01 के द्वारा जिले मे स्थित राजकीय सिवायचक भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन की कार्यवाही के निर्देश जारी किये, साथ ही राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(10)राज–6/2002 दिनांक 23.5.2002 व प.6(6)राज–6/97/7 दिनांक 27.5.2002 के क्रम मे यह भी निर्देश रहे है कि केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) के मृदा सर्वेक्षण मेन्युअल के अनुसार भूमि की 8 श्रेणियां मृदा वर्गीकरण के परिणामस्वरूप निर्धारित की गई। जिनमे से आवंटन/नियमन हेतु चिन्हिकरण कर अलाटमेन्ट क्लीरेन्स कमेटी चिन्हित भूमि को आवंटन हेतु अनुमोदन करने के पश्चात ही उक्त अभियान के दौरान आवंटन/नियमन की कार्यवाही की जानी चाहियें मगर इस मामले मे ऐसी कोई कार्यवाही नही किये जाने से आवंटन/नियमन आदेश विधि विरूद्व रहा है तथा आवंटन व नियमन की कार्यवाही पूर्ण नही हुई। पुनरावलोकन कार्यवाही से पूर्व अपीलांट अहमद तेली व सिकन्दर तेली के वारिसान को नोटिस दिया जाकर सुनवाई भी की गई है। जिससे पुनरावलोकन आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना भी रेकर्ड के अनुसार पाया जाता है। जिससे आदेश जैर अपील मे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट्स की अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर